न्यू जर्सी आर्थिक विकास प्राधिकरण ("NJEDA" अथवा "प्राधिकरण"), अटलांटिक सिटी खाद्य सुरक्षा अनुदान पायलट कार्यक्रम ("कार्यक्रम") के लिए 2 अप्रैल 2024 प्रातः 10:00 बजे से आवेदन स्वीकार करना प्रारंभ करेगा। आवेदन अवश्य ही 14 मई, 2024 सायं 5:00 बजे तक जमा कर दिये जाने चाहिए। आवदन: Atlantic City Food Security Grants Pilot Program - NJEDA पर प्राप्त किए जा सकते हैं।

कार्यक्रम अनुदान के रूप में 5.25 मिलियन डॉलर तक की अनुदान फ़ंडिंग प्रतियोगी आवेदन प्रक्रिया के ज़रिये सक्षम आवेदकों को उन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराएगा जिनका अटलांटिक सिटी के निवासियों की ताज़े, किफ़ायती और स्वस्थ आहार तक पहुँच पर सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। कार्यक्रम के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं होगा।

उद्देश्य और सिंहावलोकन

जनवरी 2021 में गवर्नर फ़िल मर्फी ने फ़ूड डेज़र्ट रिलीफ़ एक्ट (एफ़डीआरए), पर हस्ताक्षर किया जिसने टैक्स क्रेडिट में एनजेईडीए को छह वर्षों से अधिक में कुल 240 मिलियन डॉलर आवंटित किया, और एनजेईडीए को निर्देशित किया कि न्यू जर्सी के सामुदायिक मामलों और कृषि विभाग के साथ मिल कर वह सम्पूर्ण राज्य में 50 फ़ूड डेज़र्ट समुदायों (एफ़डीसी) को नामित करे।

इन समुदायों में 1.5 मिलियन से अधिक निवासी हैं, और ये न्यू जर्सी की प्रत्येक काउंटी में हैं। अंतर्निहित डेटा विश्लेषण से कम्पोज़िट फ़ूड डेज़र्ट फ़ैक्टर स्कोर को रैंक किया जा सका, जिससे फ़ूड डेज़र्ट स्थिति की तीक्ष्णता या गंभीरता का संकेत मिलता है। एटलांटिक सिटी/वेंटनोर एफ़डीसी न्यू जर्सी के सभी 50 एफ़डीसी में द्वितीय उच्चतम है, जिससे अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता का संकेत मिलता है। एटलांटिक सिटी/वेंटनोर एफ़डीसी की सीमाओं में 41,000 से अधिक व्यक्ति निवास कराते हैं, जो सम्पूर्ण एटलांटिक सिटी और वेंटनोर के एक भाग को कवर करता है। एफ़डीसी को संबोधित करने के लिए पहलें शुरू करने के लिए और एटलांटिक सिटी के लिए एसएलएफ़आरएफ़ फंडस की तत्काल उपलब्धता के कारण, यह पायलट कार्यक्रम एटलांटिक सिटी पर फ़ोकस करेगा।

12 अक्तूबर 2023 को एनजेईडीए बोर्ड ने आर्थिक रिकवरी फंड द्वारा फंड किया गया एटलांटिक सिटी खाद्य सुरक्षा अनुदान पायलट कार्यक्रम, एक 5,250,000 डॉलर कार्यक्रम, अनुमोदित किया, जो उन परियोजनाओं के लिए अनुदान देगा जो एटलांटिक सिटी में खाद्य पहुँच और खाद्य सुरक्षा को मज़बूती देंगी।

कार्यक्रम विवरण

कार्यक्रम को एटलांटिक सिटी के निवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान हेतु डिज़ाइन किया गया है क्योंकि यह ताज़ा, किफायती और स्वस्थ खाद्य पदार्थों तक पहुँच से सम्बद्ध है। एटलांटिक सिटी में बेहतर, विश्वसनीय, तथा निरंतर खाद्य पहुँच को देखते हुये, कार्यक्रम का उद्देश्य 1) एटलांटिक सिटी निवासियों को एमर्जेंसी खाद्य कार्यक्रमों से सम्बद्ध करने वाली संस्थाओं, 2) एटलांटिक सिटी में असंगत रूप से प्रभावित परिवारों, जनसंख्या की सेवा करने वाली संस्थाओं के लिए कार्यक्रमों, सेवाओं, पूंजीगत व्यय या अन्य सहायता का निर्माण करना, फ़ंड करना तथा समर्थन करना।

कार्यक्रम अनुदान ऐसी सरकारी संस्थाओं, ग़ैर-लाभकारी संस्थाओं, और लाभकारी संस्थाओं उपलब्ध कराया जाएगा जो आवेदन के समय कम से कम पिछले दो वर्षों से अस्तित्व में हैं और वर्तमान में किसी भी प्रकार से एटलांटिक सिटी/वेंटनोर एफ़डीसी निवासियों की सेवा कर रहे हैं। अनुदान फ़ंड केवल उन्हीं संस्थाओं को प्रदान किए जाएँगे जो यह संकेत देंगी कि वे अनुदान का उपयोग, खाद्य पहुँच तथा/अथवा खाद्य सुरक्षा बढ़ा कर, एटलांटिक सिटी में जीवन की गुणवत्ता सुधारने में करेंगे। भूमि या इमारतों का अधिग्रहण योग्य लागत नहीं है। शेष सभी लागतें जो अनुदान समझौते के निष्पादन की तारीख़ के बाद होती हैं वे पात्र होती हैं, बशर्ते वे परियोजना बजट और सहायक दस्तावेज़ीकरण के प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन हों।

सभी पात्र परियोजनाओं को समर्थन उपलब्ध करा सकने के लिए, प्रति पात्र आवेदक के अधिकतम एक परियोजना को फ़ंड किया जा सकता है।

In प्राधिकरण द्वारा परियोजना बजट तथा समर्थक दस्तावेज़ों के अधीन, अनुदान समझौते के निष्पादन के बाद होने वाली अन्य सभी लागतें पात्र होंगी। अनुदान फ़ंडिंग का आवंटन उच्चतम स्कोर वाले आवेदकों को किया जाएगा, स्कोर के घटते क्रम में तब तक आगे बढ़ा जाएगा जब तक अगले पात्र आवेयक को पूरी तरह से फ़ंड करने के लिए अपर्याप्त फ़ंड नहीं बच जाते हैं। यदि प्रारंभिक आवेदन अवधि के सभी

पात्र आवेदकों के अनुमोदन के बाद भी फ़ंडिंग बच जाती है, अतिरिक्त छह सप्ताह की आवेदन खिड़की के दौरान अतिरिक्त आवेदनों के लिए, आवेदन अवधि को पुनः खोला जा सकता है।

फ़ंडिंग

कार्यक्रम के लिए फ़ंडिंग, आर्थिक रिकवरी फ़ंड (ईआरएफ़) के 5,250,000 डॉलर कार्यक्रम द्वारा की जाएगी। वित्त वर्ष 2024 विनियोजन अधिनियम (पी.एल. 2023, सी. 74) में "एटलांटिक सिटी पहल" के लिए विनियोजित अमेरिकी बचाव योजना कोरोनावायरस स्टेट फिस्कल रिकवरी फंड्स (एसएलएफआरएफ) में 4,000,000 डॉलर का फंड शामिल है। इसके अतिरिक्त, खाद्य और कृषि नवाचार के लिए राज्य निधि के वित्त वर्ष 2012 के विनियोग से डिलीवरी अनुदान कार्यक्रम में फूड रिटेल इनोवेशन से (1,250,000 डॉलर) पुनः आवंटित किया जाएगा।

पात्रता

अनुदान केवल उन्हीं संस्थाओं को दिया जाएगा जो आवेयन के समय निम्न शर्तों को पूरा केंगी:

- आवेदक कोई लाभकारी, ग़ैर-लाभकारी, या सरकारी संस्था है जो आवेदन के समय पिछले दो वर्षों से अस्तित्व में है;
- आवेदक वर्तमान में एटलांटिक सिटी/वेंटनोर एफ़डीसी के निवासियों की सेवा में रत है;
- आवेदक खाद्य पहुंच और/या खाद्य सुरक्षा से संबंधित वर्तमान प्रोग्रामिंग या सेवाओं को प्रदर्शित कर सकता है, जिसमें ये शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: खाद्य वितरण, पोषण शिक्षा, स्थानीय कृषि, और/या खाद्य खुदरा (ऐसी प्रोग्रामिंग अनुदान के लिए प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा या खाद्य पहुंच गतिविधियों से भिन्न हो सकती है); और
- आवेदन के समय सभी आवेदकों को निम्न न्यू जर्सी विभागों की दृष्टि में अच्छी स्टैंडिंग में होना चाहिए:
    - श्रम और कार्यबल विकास विभाग (“एनजेडीओएल”)
    - पर्यावरण संरक्षण विभाग
    - अराढांक का विभाजन, जैसा कर क्लियरेंस प्रमाणपत्र से साबित है,
- • आवेदक 2 सीएफआर § 200.214 और कार्यकारी आदेश 12549 और 12689, 2 सीएफआर भाग 180 सहित इसके कार्यान्वयन नियमों के अनुसार निलंबन या रोक के अधीन नहीं है।

पात्र उपयोग

अनुदान फ़ंडिंग का उपयोग केवल आवेदन, प्राधिकरण समीक्षा और अनुदान समझौते के आधार पर विशेष रूप से अनुमोदित परियोजना की संभावित लागतों के लिए किया जा सकता है। अनुदान फंडस केवल उन्हीं संस्थाओं को प्रदान किए जाएँगे जो जो अनुदान फंड्स का उपयोग एटलांटिक सिटी में खाद्य पहुँच को सुधारने और/अथवा खाद्य सुरक्षा के लिए करेंगी।

प्रस्तावित उपयोग अनुदान समझौते के निष्पादन के दो वर्ष के अंदर पूरे कर लिए जाने चाहिए, जहां ईडीए स्टाफ़ द्वारा दो 6-माह के विस्तार दिये जा सकते हैं यदि अनुदान प्राप्तकर्ता उसके उपयोग के लिए परिश्रम कर्ता रहा हो और देरी अपरिहार्य कारणों से हुई हो जो अनुमानित तथा अनुदान प्राप्तकर्ता के नियंत्रण में नहीं थे और वह भी उस सीमा तक जहां तक संघीय व्यय दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत है।

जैसा कानून द्वारा वांछित है, निर्माण, जिसमें शामिल है उपकरणों की स्थापना से संबंधित निर्माण में वाणिज्य का उपयोग, ठेकेदारों के लिए राज्य सकारात्मक कार्यवाही आवश्यकताओं के अधीन होगी। 2,000 डॉलर या उससे अधिक की लागत वाला ऐसा कार्य न्यू जर्सी की प्रचलित वेतन आवश्यकताओं और प्राधिकरण की प्रचलित वेतन और सकारात्मक कार्यवाही आवश्यकताओं के अधीन होगा। इसके साथ ही, अनुदान प्राप्तकर्ताओं को प्रचलित वेतन के अधीन न्यू जर्सी सार्वजनिक निर्माण कार्य ठेकेदारों के रूप में कार्य के लिए एनजेडीओएल में पंजीकृत का उपयोग करना होगा।

अवार्ड्स संघीय लाभों के दोहराव आवश्यकताओं और यदि निर्माण शामिल होगा, तब लागत तर्कसंगतता विश्लेषण के अधीन होंगे।

अनुदान फँदीं का इस्तेमाल भूमि या इमारतों के अधिग्रहण के लिए पात्र लागत के रूप में नहीं किया जा सकता है। प्राधिकरण द्वारा परियोजना बजट के अनुमोदन और समर्थक दस्तावेज़ों के अधीन अन्य सभी लागतें जो अनुदान समझौते के निष्पादन के बाद व्यय की जाती हैं, पात्र होती हैं। जैसे कि पात्र लागतों में शामिल हैं निर्माण, उपकरण, स्थापना, वेतन और भत्ते, तथा किराया।

अनुदान राशियां

प्रति परियोजना न्यूनतम अनुदान फ़ंडिंग 50,000 डॉलर है। प्रति परियोजना अधिकतम अनुदान फ़ंडिंग 500,000 डॉलर है। अनुदान फंड्स प्रस्तावित परियोजना लागत का 100% तक कवर कर सकते हैं। यदि ईडीए के अनुदान फंड्स द्वारा प्रस्तावित परियोजना लागत के 100% को कवर करने का अनुरोध नहीं किया गया है, तो बजट में अतिरिक्त फ़ंडिंग स्रोतों का विवरण दिया जाना चाहिए और बजट विवरण को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

संभावित अवार्ड राशि फ़ंडिंग उपलब्धता की वर्तमान जानकारी पर आधारित होती है। अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होने पर एनजेईडीए उस राशि और अवार्डों की संख्या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

आवेदन जमा करने और समीक्षा की प्रक्रिया (जिसमें स्कोरिंग शामिल है)

कार्यक्रम के लिए आवेदन 30 अप्रैल 2024 को संध्या 5:00 बजे की समय सीमा के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने के लिए, आवेदक को अवश्य ही ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर पंजीकृत या लॉग इन करना चाहिए, सभी आवश्यक प्रश्नों के पूरे जवाब देने चाहिए, और सभी वांछित दस्तावेज़ों को अपलोड करना चाहिए।

"संपूर्णता तथा पात्रता के लिए एनजेईडीए (NJEDA) कर्मचारी सभी आवेदनों की समीक्षा करेंगे। प्राधिकरण के एकल विवेक पर एनजेईडीए (NJEDA) कर्मचारी आवेदन हेतु और अधिक जानकारी की मांग भी कर सकते हैं, जिसमें प्रतिक्रियाएँ, दस्तावेज़, तथा संलग्नक शामिल हैं, मगर केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। आवेदकों को इन निवेदनों पर प्रतिक्रिया देने के लिए 10 कार्य दिवस का समय दिया जाएगा। यदि आवश्यक होने पर प्राधिकरण दो अतिरिक्त दिन की क्यूर अवधि देने का अधिकार आरक्षित रखता है। यदि और अधिक क्यूर अवधि उपलब्ध कराई जाएगी तब यह सभी आवेदकों को उपलब्ध होगी। यदि क्यूर अवधि या क्यूर अवधियों, यदि दो या तीन क्यूर अवधियाँ उपलब्ध कराई गई हों, पूरी होने पर, आवेदक प्रतिक्रियाविहीन रहता है, तब आवेदन को वापस लिया हुआ माना जाएगा। किसी भी या सभी क्यूर अवधियों के समापन तक किसी आवेदन को स्कोर नहीं किया जाएगा।"

प्रत्येक आवेदन में अपनी संस्था और प्रस्तावित परियोजना के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिसमें निम्न शामिल हो, परंतु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं:

- एटलांटिक सिटी में एफ़डीसी निवासियों के खाद्य पहुँच और/अथवा खाद्य सुरक्षा पर उसके अपेक्षित प्रभाव सहित प्रस्तावित परियोजना का विस्तृत विवरण। इस विवरण में कम से कम निम्नलिखित शामिल होना ही चाहिए:
    - एटलांटिक सिटी में वर्तमान खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य पहुँच आवश्यकताएँ तथा चुनौतियाँ;
    - यह विवरण कि किस प्रकार प्रस्तावित परियोजना एटलांटिक सिटी में वर्तमान खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य पहुँच को संबोधित करेगी, विशेषकर एसएनएपी तथा डबल्यूआईसी प्राप्तकर्ताओं को;
    - अन्य प्रमुख हितधारकों की पहचान और विवरण कि किस प्रकार आवेदक उनके साथ मिल कर काम करेगा;
- निष्पादन की समयावधि और कार्य योजना। कार्ययोजना में कम से निम्न अवश्य शामिल होना चाहिए:
    - विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्य, प्रासंगिक, समय बद्ध (एसएमएआरटी) उद्देश्य;
    - प्रत्येक परियोजना गतिविधि का विवरण;
    - एक परियोजना समयावधि, जिसमें शामिल हों माइलस्टोन्स तथा अनुदान अवधि के दौरान प्रत्येक गतिविधि के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समयावधि;
    - प्रत्येक परियोजना गतिविधि के के लिए उत्तरदायी उचित कर्मचारी की पहचान;
- प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वित करने की संस्था की क्षमता का विवरण, जिसमें वर्तमान और पिछला अनुभव शामिल हो a) एटलांटिक सिटी/वेंटनोर एफ़डीसी निवासियों की सेवा का और b) एटलांटिक सिटी तथा/अथवा न्यू जर्सी के अन्य भागों में खाद्य पहुँच तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम क्रियान्वयन और सेवाएँ उपलब्ध कराने का;
- सामुदायिक सहभागिता प्रयासों का एक विवरण, जिसमें प्रस्ताव के लिए समर्थन के पत्र शामिल हो सकते हैं; और
- प्रस्तावित परियोजना स्कोप के लिए एक लाइन आइटम बजट और बजट कथन। निवेदित बजट स्तर अवश्य ही लाइन आइटम में विखंडित किया जाना चाहिए। लाइन आइटमों को बजट कथन में स्पष्ट किया जाना चाहिए। फ़ंडिंग का निवेदित स्तर अवश्य ही प्रस्तावित गतिविधियों के लिए परियोजना समय सीमा के अंदर तर्कसंगत होना चाहिए। यदि कुल परियोजना लागत निवेदित राशि से अधिक होती है, तब बजट कथन में अन्य सभी फंड्स के स्रोतों का विवरण दिया जाना चाहिए।

नोट: परियोजना की व्यवहार्यता तथा आगे बढ़ाने के लिए तैयारी / समयावधि स्कोरिंग फ़ैक्टर्स और विचार होते हैं। आवेदकों को प्रस्तावित परियोजना के संबंध में शामिल चरणों और अनुमानित समय सीमा के संबंध में यथासंभव विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

निर्माण लागत तथा निर्माण से सम्बद्ध लागत शामिल करने वाली परियोजनाओं में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा होना चाहिए:

- एनजेडीओएल सार्वजनिक कार्य पंजीकृत ठेकेदार/उपठेकेदार
  2,000 डॉलर या उससे अधिक के निर्माण लागत वाले किसी भी कार्य के लिए इस्तेमाल किए गए सभी ठेकेदार न्यू जर्सी श्रम और कार्यबल विभाग (डीओएल) पंजीकृत ठेकेदार में पंजीकृत होने चाहिए और उन्हें वर्तमान वेतन तथा सकारात्मक कार्यवाही आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए। ऐसे ठेकेदारों/उपठेकेदारों जो आवेयन के समय एनजेडीओएल सार्वजनिक कार्य पंजीकृत ठेकेदार नहीं हैं द्वारा दिये गए कोई भी संविदा भाव आपकी प्रस्तावित परियोजना में उपयोग के पात्र नहीं होंगे।

- प्रोफ़ेशनल सेवाएँ
  सभी प्रोफ़ेशनल सेवाओं को, जिनमें शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, निर्माण प्रबंधन सेवाएँ, एनजे व्यापार पंजीकरण तथा प्रोफ़ेशनल सेवा फ़ॉर्म के सत्यापन का सबूत अवश्य ही प्रस्तुत करना चाहिए।

स्कोरिंग

वे आवेदन जो अपूर्ण हैं, जीमें शामिल हैं वे भी जहां सभी वांछित प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये गए हैं, तथा वे जहां आवेदक पात्रता मानक पूरे नहीं होते हैं, स्कोरिंग के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। वे आवेदन जो पूर्ण माने जाएँगे उनकी एक आकलन स्कोरिंग समिति, जिसमें एनजेईडीए के कर्मचारी शामिल होंगे, द्वारा समीक्षा होगी और उन्हें स्कोर किया जाएगा।आवेदनों को 0-100 पॉइंट्स के स्केल पर स्कोर किया जाएगा। अनुदान फ़ंडिंग के लिए विचारार्थ **100 में से न्यूनतम 50 पॉइंट्स** का स्कोर आवश्यक होगा। आवेदनों का स्कोर निम्न मानदंडों के अनुसार होगा:

- **मानदंड # 1: परियोजना विवरण / कार्य का स्टेटमेंट** (30 पॉइंट तक) – विचारित फ़ैकटर्स में शामिल हैं:
  - खाद्य सुरक्षा और खाद्य पहुँच से सम्बद्ध एटलांटिक सिटी की आवश्यकताओं और चुनौतियों के संबंध में आवेदक की समझ;
  - एटलांटिक सिटी के निवासियों की खाद्य सुरक्षा और/अथवा खाद्य पहुँच पर प्रस्तावित परियोजना का संभावित प्रभाव;
  - संघीय तथा राज्य पोषण लाभों के प्राप्तकर्ताओं, जिनमें एसएनए तथा डबल्यूआईपी भी शामिल हैं, पर प्रस्तावित परियोजना का खाद्य पहुँच पर संभावित प्रभाव;
  - परियोजना के व्यवहार्य, सतत, तथा अन्य खाद्य डेज़र्ट समुदायों के अनुकूलनीय होने की संभावना;
- **मानदंड # 2: कार्य योजना** (20 पॉइंट्स तक) – आवेदनों का आकलन निम्न फ़ैक्टरों के आर पर किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
  - कार्य योजना की व्यवहार्यता, जैसी प्रस्तावित है;
  - विस्तार का स्तर तथा गहन नियोजन का सबूत;
- **मानदंड # 3: संगठनात्मक क्षमता** (20 पॉइंट्स तक) – आवेदक के पास प्रस्तावित परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए क्षमता है। विचारित फ़ैक्टरों में शामिल हैं:
  - खाद्य पहुँच तथा/अथवा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम या सेवा उपलब्ध कराने का आवेदक का अनुभव, जिसमें शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है, खाद्य वितरण, पोषण शिक्षा, स्थानीय कृषि, तथा/अथवा खाद्य रिटेल;
  - प्रभावी ढंग से सहयोगात्मक, बहुहितधारक परियोजनाओं, जैसा कि प्रस्तावित परियोजना में लागू है, के संबंध में आवेदक का अनुभव;
  - प्रस्तावित परियोजना का आवेदक के सकल मिशन या व्यापार की प्राथमिक लाइन से संरेखण।
- **मानदंड #4: सामुदायिक सहभागिता** (20 पॉइंट तक) – विचारित फ़ैक्टरों में शामिल हैं:
  - एटलांटिक सिटी के निवासियों की सेवा करने के अनुभव की गहनता;
  - हितधारकों, जैसे समुदाय के सदस्यों, ग्राहकों, तथा वकीलों से फ़ीडबैक पाने तथा उत्तरित करने का ट्रैक रिकॉर्ड;
  - सुनिश्चित करने के प्रयास कि क्रायक्रम या सेवाएँ सामाजिक और आर्थिक समता प्रोत्साहित करें;
  - उन बाधाओं को समझने और कम करने की क्षमता जिन्होंने खाद्य सुरक्षा और खाद्य पहुँच के लिए अतीत में चुनौतियाँ प्रस्तुत की थीं;
- **मानदंड #5: बजट और बजट कथन** (10 पॉइंट तक) – परियोजना के लक्ष्यों तथा तर्कसंगतता से स्पष्ट संबंध के साथ बजट, बजट कथन के विस्तार, औचित्य/स्पष्टीकरण की स्पष्टता, के आधार पर आवेदनों का आकलन किया जाएगा।

फंडिंग पहले उच्चतम स्कोर वाले आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी, उसके पश्चात स्कोर के घटते हुये क्रम में तब तक अन्य आवेदकों को कराई जाएगी जो 100 में से 50 के स्कोर की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं, जब तक कि अगले पात्र आवेदन को पूर्णतः फंड करने के लिए पर्याप्त फंड नहीं बचता है। यदि आवेदन काल में प्राप्त क्वालिफ़ाई करने वाले सभी आवेदनों के अनुमोदन के बाद भी फंड बच जाता है, तब आवेदन का समय अतिरिक्त आवेदनों के लिए अतिरिक्त छह सप्ताह की आवेदन खिड़की के लिए पुनः खोला जा सकता है। उस काल में प्राप्त आवेदनों की समान प्रक्रिया द्वारा समीक्षा और स्कोरिंग की जाएगी।

अनुदान समझौता

जब एक बार कोई परियोजना अनुदान के लिए अनुमोदित हो जाएगी, प्राधिकरण आवेदक के साथ फंड किए जाने वाली परियोजना, पात्र परीयजना लागत, अनुदान फ़ंडिंग राशि, तथा सभी कार्यक्रमात्मक आवश्यकताओं, जिसमाइएन अन्य फ़ंडिंग की राशि भी शामिल है, जैसा लागू हो, का विवरण देते हुये एक अनुदान समझौता करेगा ("अनुदान समझौता")। अनुदान समझौता परियोजना तथा परियोजना रिपोर्टिंग दोनों के लिए समयावधि का विवरण देगा। प्रस्तावित उपयोग अवश्य ही अनुदान समझौते के निष्पादन के दो वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए, हालांकि उसमें ईडीए कर्मचारियों के विवेकानुसार, 6 माह के दो विस्तार दिये जा सकते हैं, बशर्ते कि अनुदान प्राप्तकर्ता उपयोग को श्रमपूर्वक ज़ारी रखे हो, और देरी अज्ञेय कारणों से हुई हो तथा प्राप्तकर्ता के नियंत्रण में न हो, तथा संघीय व्यय

सीमा के अंतर्गत अनुमत हो। आवेदक परियोजना संबंधी अनुदान समझौते की नियम और शर्तों तथा कार्यक्रम फ़ंडिंग आवश्यकताओं के समस्त अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा।

अनुदान फ़ंडिंग संवितरण

प्राधिकरण अनुदान का संवितरण आवेदक को केवल कार्य के पात्र तथा अनुमोदित स्कोप के लिए करेगा। फंड्स का संवितरण निम्न शिड्यूल के अनुसार होगा:

- अनुदान का 50 प्रतिशत एनजेईडीए तथा चयनित आवेदक के साथ अनुदान समझौते के निष्पादन पर संवितरित किया जाएगा;
- अनुदान का 25 प्रतिशत आवेदक द्वारा मिड-प्रोग्राम रिपोर्ट जमा करने के बाद किया संवितरित किया जाएगा, इसका सटीक समय प्राप्तकर्ता की कार्यान्वयन योजना तथा जैसा अनुदान समझौते में प्रतिबिम्बित है, उसके आधार पर तय किया जाएगा; और
- अनुदान राशि का 25 प्रतिशत प्राधिकरण की समीक्षा तथा आवेदक द्वारा प्रस्तावित परियोजना के पूरे होने पर दी गई फाइनल रिपोर्ट, जिसकी अपेक्षा अनुमोदन समझौते के निष्पादन अधिकतम दो (2) वर्षों के अंदर या 30 सितंबर 2026, जो भी पहले हो, के अनुमोदन के बाद संवितरित किया जाएगा।

समापनोपरांत अनुपालन

अनुदान निष्पादन से ले कर अनुदान काल के समापन तक प्राप्तकर्ताओं द्वारा एनजेईडीए को कम से कम त्रैमासिक अंतराल पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता है, जिसमें मिड-प्रोग्राम तथा फाइनल रिपोर्ट शामिल है।
इन रिपोर्टों में प्रस्तावित परियोजना समयावधि, डेटा, तथा परियोजना के प्रभाव के परिणाम (जैसे कितने व्यक्तियों की सेवा की गई), तथा परियोजना लगत, संचयी तथा पिछली रिपोर्ट स अब तक दोनों लागत की तुलना में अनुदान प्राप्तकर्ता की प्रगति के अपडेट अवश्य उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

एनजेईडीए (1) किसी अपात्र उद्देश्य अथवा (2) कार्य के अनुमोदित स्कोप के बाहर के किसी भी कार्य के लिए उपयोग में लाये गए अनुदान फंड को वापस ले लेगा।

शुल्क

एनजेईडीए शुल्क नियमों के अनुसार, इस कार्यक्रम के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

अतिरिक्त आवश्यकताएँ और सूचनाएँ

एटलांटिक सिटी खाद्य सुरक्षा अनुदान पायलट कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी
Atlantic City Food Security Grants Pilot Program - NJEDA
पर उपलब्ध है।
फ़ंडिंग उपलब्धता के संबंध में नोटिस संबंधी प्रश्न FoodSecurityGrants@njeda.gov से पूछे जाने चाहिए।

एनजेईडीए राज्य और संघीय क़ानूनों के अधीन है जिसमें निम्न शामिल हैं, मगर इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जो सहयोगियों को प्रभावित कर सकते हैं: N.J.S.A. 52:32-60.1, एट सेक, जो न्यू जर्सी की सरकारी संस्थाओं को बेलारूस या रूस में प्रतिबंधित गतिविधियों में संलग्न व्यवसायों के साथ कुछ डीलिंग्स करने से रोकती है; विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी), https://sanctionssearch.ofac.treas.gov द्वारा प्रख्यापित "विशेष रूप से नामित नागरिकों और अवरुद्ध व्यक्तियों" की सूची का अनुपालन; एन.जे.एस.ए. 24:6आई-49 जो प्रावधान करता है कि निम्नलिखित में से अधिकांश राज्य या स्थानीय आर्थिक प्रोत्साहनों के लिए पात्र नहीं हैं (a) कोई व्यक्ति या संस्था जिसे भांग उगाने, निर्माण, थोक विक्रेता, वितरक, रिटेलर, या डेलीवरी सेवा, का लाइसेन्स मिला हो या जो किसी भांग प्रतिष्ठान, वितरक, या डेलीवरी सेवा के लिए या उसकी ओर से काम करने के लिए एक प्रमाणित व्यक्तिगत उपयोग भांग हैंडलर को नियुक्त करता है; और (b) किसी संपत्ति का स्वामी, डेवलपर, या किसी परियोजना का संचालक जिसका इस्तेमाल पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भांग उगाने वाले, निर्माता, थोक विक्रेता, वितरक, रिटेलर या डेलीवरी सेवा के लाभ के लिए या किसी प्रमाणित निजी उपयोग भांग हैंडलर को काम पर नियुक्त करने के लिए या भांग प्रतिष्ठान, वितरक, या डेलीवरी सेवा के पक्ष मक़ाम कर्ता हो; और एनजेएसए 52:13डी-12, एट सेक, जो विधायिका के किसी सदस्य या किसी राज्य अधिकारी या कर्मचारी या उनके साझेदारों या किसी निगम को, कुछ सीमित अपवादों के साथ, जिसमें वे 1% से अधिक स्टॉक के मालिक हैं या नियंत्रित करते हैं, 25.00 डॉलर या अधिक के किसी भी राज्य एजेंसी द्वारा बनाया गया, दर्ज किया गया, प्रदान किए गए किसी भी अनुबंध, समझौते, बिक्री या खरीद को शुरू करने या निष्पादित करने से रोकता है।